न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/440
मुकदमा नम्बर 150/2024 दर्ज दिनांक– 17.09.2024

लक्ष्मी देवी उर्फ चुकी देवी पुत्री श्री भगवानाराम पत्नी श्री महाबीर प्रसाद जाति कुम्हार निवासी परसरामपुरा हाल निवासी कुम्हारों की ढाणी ,तहसील व जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र भगवानाराम
2. रमेश कुमार पुत्र भगवानाराम
3. गीता देवी पुत्री भगवानाराम
4. संतोष पुत्री भगवानाराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण परसरामपुरा,तहसील व जिला झुझुंनू
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगिड
वकील अनावेदक 1 लगा. 4 :– श्री आशिष बुगालिया
वकील अनावेदक 5 :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक** 24-12-2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम परसरामपुरा की खाता सं. 411,53,54,व 599 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में कास्तकार का नाम चूकी पुत्री भगवाना की जगह लक्ष्मी देवी पुत्री भगवाना राम दर्ज किया जावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 4 की और से वकील श्री आशिष बुगालिया उपस्थित हो प्रा. पत्र आवेदक का स्वीकार किया। अना. सं. 5 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो, तहसीलदार नवलगढ कि और से रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2024/5765 दिनांक 18/12/2024 पेश की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई। आवेदक का प्रा. पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर साबित पाया गया है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम परसरामपुरा की खाता सं. 411,53,54,व 599 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में कास्तकार का नाम चूकी पुत्री भगवाना की जगह लक्ष्मी देवी पुत्री भगवाना राम दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 20-12-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू